

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा चूरु

क्रमांक: जिशिअ/मु/मा/चूरु/लेखा-7/2018-19

दिनांक-15.11.2018

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,

चूरु/राजगढ़/तारानगर/

सरदारशहर/रतनगढ़/सुजानगढ़/बीदासर

नोडल प्रधानाचार्य, राउमावि. चूरु/राजगढ़/तारानगर/

सरदारशहर/रतनगढ़/सुजानगढ़/बीदासर

विषय : 2018-19 के लिए हितकारी निधि वार्षिक अंशदान बाबत।

प्रसंग:-निदेशक माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर के पत्र क्रमांक

-28203 दिनांक-14.11.18

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प. 21 (7) शिक्षा-2/हितकारी निधि/2007 जयपुर दिनांक- 13.10.17 एवं पत्रांक-15.06.18 द्वारा अनुमोदन उपरान्त हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान 2018-19 का शिक्षा विभाग के समस्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित सर्वग के कार्मिकों के वेतन विवत्र माह दिसम्बर, 2018 देय जनवरी 2019, पूर्व निर्धारित दर से कटौती कर भिजवाया जाना है। अतः समस्त आहरण वितरण अधिकारी अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिकों के वेतन से अनिवार्य रूप से कटौती करें।

श्रीमान निदेशक एवं अध्यक्ष (हितकारी निधि) माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्र दिनांक-14.01.2018 की छाया प्रति पत्र के साथ सलंग्न कर भिजवाई जा रही है पत्रानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर पालना से इस कार्यालय को अवगत करावें।

सलंग्न:- उपरोक्तानुसार

(पितराम सिंह काला)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा,
चूरु

दिनांक-15.11.2018

क्रमांक: जिशिअ/मु/मा/चूरु/लेखा-7/2018-19

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. श्रीमान निदेशक एवं अध्यक्ष (हितकारी निधि) माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
2. श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा सम्भाग- चूरु।
3. कार्यालय पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा,
चूरु

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/मा/हिनि/28203/2018-19

दिनांक : 14/11/18

- समस्त उप-निदेशक(माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा)
- समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा)
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, मुख्यालय)
- समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- समस्त विशिष्ट संस्थां
- समस्त प्राचार्य डाईट

विषय : 2018-19 के लिए हितकारी निधि वार्षिक अंशदान बाबत।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : प.21(7)शिक्षा-2/हितकारीनिधि/2017 जयपुर दिनांक 13.10.2017 एवं पत्रांक दिनांक 15.06.2018 द्वारा अनुमोदन उपरान्त हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान 2018-19 का शिक्षा विभाग के समस्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग के कार्मिकों के वेतन विपत्र माह दिसम्बर 2018 दैय जनवरी 2019, पूर्व निर्धारित दर से कटौती कर भिजवाया जाना है। वेतन से कटौती बाबत जिला शिक्षा अधिकारी कि कार्यशाला आयोजित की जा चुकी है तथा विस्तृत निर्देश DD/DEO/CDEO माध्यमिक/प्रारंभिक को निदेशालय के पत्र दिनांक 24.10.2018 द्वारा जरिये गेल प्रेषित किये जा चुके हैं। अतः समस्त आहरण वितरण अधिकारी अपने अधिनस्थ समस्त कार्मिकों के वेतन से अनिवार्य रूप से कटौती करें।

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक अंशदान की दरें

- | | |
|--|-----------------------|
| (1) समस्त राजपत्रित अधिकारी (स्कूल व्याख्याता सहित) | रुपये 500/- प्रतिवर्ष |
| (2) समस्त अराजपत्रित कार्मिक/अध्यापक एवं सहा.कर्मचारी सहित | रुपये 250/- प्रतिवर्ष |

हितकारी निधी कल्याणकारी योजनाएं

इस कल्याणकारी योजनांतर्गत प्राप्त अंशदान राशि में से सेवा में रहते कार्मिक के निधन पर उसके आश्रितों द्वारा आवेदन करने पर 1,50,000/- रुपये एवं दुर्घटना में अशक्त होने के कारण प्रमाण-पत्र के आधार पर 50,000/- रुपये कि आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जावेगी।

शिक्षा विभाग के कार्मिकों के 100 बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर 5000/- रुपये से 10,000/- रुपये तक की सहायता दैय है।

शिक्षा विभागीय कार्मिक एवं उसके आश्रितों में से किसी सदस्य के असाध्य रोग से पीडित होने पर 5000/- रुपये की सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

शिक्षा विभागीय कार्मिकों को बालिका शिक्षा हेतु 50,000/- रुपये तक का ऋण दिये जाने का प्रावधान है।

अतः वर्ष 2018-19 का हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान माह दिसम्बर 2018 दैय वेतन जनवरी, 2019 से निर्देशानुसार वेतन से उक्त निर्धारित दर से प्राप्त कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

हितकारी निधि योजना की सफलता के लिये आपके अधिनस्थ कार्यालयों/विद्यालयों में इस पत्र की प्रतिलिपि गयी आपके निर्देशों के भिजवावें ताकि इसके सफल परिणाम प्राप्त हो सकें। अंशदान की कटौती होने के पश्चात् निर्देशानुसार ECS Cashbook एवं कटौती शिड्युल कि प्रति, अध्यक्ष हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के नाम से भिजवाया जाना है। कटौती शिड्युल में कार्मिक के I.D. संख्या का आवश्यक रूप से उल्लेख करें क्योंकि यही I.D. कार्मिक का खाता संख्या होगी, तदनुसार खातों में प्रविष्टियां की जावेगी।

(नथमल डिलेल)

निदेशक एवं अध्यक्ष
हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त अनुभाग अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा, कार्यालय हाजा
2. सम्पादक शिविरा पत्रिका, बीकानेर को प्रकाशनार्थ
3. संयुक्त निदेशक कम्प्यूटर कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट एवं शासिक वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

उप निदेशक (प्रशासन) एवं
सहायक हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/हिनि/28203/2017-18

दिनांक:- 24.10.2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा)

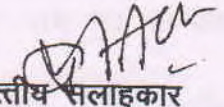
विषय:- हितकारी निधि वार्षिक अंशदान की कटौती वेतन बिल से करने बाबत।

संदर्भ:- निदेशालय का सम-संख्यक पत्रांक दिनांक 08.10.18

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, उक्त पत्र प्रेषित कर वेतन बिलों से हितकारी निधि का अंशदान कटौती करने बाबत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था लेकिन खेद है कि उक्त कार्यशाला में आपकी अथवा प्रतिनिधि की उपस्थिति कम रही तथा इसे आपके द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया, अतः आप अपनी ओर से आपके या प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने बाबत स्थिति से तुरन्त स्पष्ट करावें।

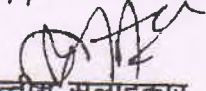
हितकारी निधि वार्षिक अंशदान वेतन माह दिसम्बर दैन्य जनवरी 2019 के सम्बन्ध में एक निर्देशिका इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, अतः इस सम्बन्ध में संबंधित कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी से सम्पर्क कर कटौती सुनिश्चित करावें एवं उक्त समस्त दस्तावेज अपने अधिनस्थों को भेज कर एक कार्यशाला आप अपने यहाँ आयोजित करें ताकि सभी को इसकी समय पर जानकारी प्राप्त हो सकें। इस सम्बन्ध में यदि आवश्यक हो तो निम्न मोबाईल नम्बर पर डायल कर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 9461244803 , 9829043233

Enc- Five.


वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. समस्त उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा को भेजन कर लेख है कि इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक 30.08.18 के संदर्भ में वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. उप निदेशक स्टेट ऑपन जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सहायक ऑफिसर माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा को सूचनार्थ।
5. समस्त प्राचार्य डाईट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त विशिष्ट संस्थाएँ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. लेखाधिकारी रोकड अनुभाग, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा विभाग कार्यालय हाजा को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
8. समस्त अनुभाग अधिकारी कार्यालय हाजा माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा विभाग को इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक 30.08.18 के संदर्भ में वास्ते सूचनार्थ।
9. कार्यालय हाजा के प्रेषित कर संयुक्त निदेशक राज्य के निदेशाधीन संख्या 542-34005 के अन्तर्गत।


वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

हितकारी निधि का अंशदान वेतन माह दिसम्बर 2018 भुगतान जनवरी 2019 सीधे ही वेतन से कटौती करने हेतु मार्ग निर्देश:-

1. वेतन माह दिसम्बर 2018 दैन्य जनवरी 2019 हितकारी निधि अंशदान कटौती हेतु निदेशालय के परिपत्र का पूर्ण अवलोकन करें।
2. वार्षिक अंशदान परिपत्र अनुसार निर्धारित दर से किया जाना है।
3. हितकारी निधि कि 28वीं एवं 29वीं बैठक में किये गये निर्णयानुसार अब हितकारी निधि के अंशदान कि कटौती सीधे ही वेतन बिलों से की जानी है, इसका अनुमोदन राज्य सरकार के पत्रांक दिनांक 15.06.2018 द्वारा प्राप्त किया गया है।
4. प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी साथ संलग्न (क्र0स0 -1) के अनुसार एक पत्र अपने कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

उक्त पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जावें:-

1. वेतन बिल के साथ (क्र0स0-2) अनुसार प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा हितकारी निधि कटौती का शिड्यूल संलग्न किया जावें जिसके अन्त में DDO के हस्ताक्षर मय कार्यालय मोहर एवं DDO कोड अंकित किया जावें।
2. पत्र के साथ निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर का पत्र (क्र0स0 -3) संलग्न करें।
3. पत्र के साथ हितकारी निधि खाता संख्या 51020721611 कि बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ कि प्रति संलग्न करें। (क्र0स0-4)
5. बन्दु संख्या - 4 में अवगत कराये अनुसार पत्रादि तैयार कर संबंधित कोषालय/उप-कोषालय में पत्र प्रस्तुत कर कटौती के सम्बन्ध में वार्ता कर लेवे एवं तदनुसार कार्यवाही करें।
6. Paymanger पर Dependet Deduction के रूप में संबंधित कोषालय/उपकोषालय में paymanger पर Add करावें।
7. दिसम्बर 2018 के वेतन बिल से कटौती हो जाने के पश्चात आपको अपने स्तर से कटौती के Option को डिलिट करना होगा ताकि अगले माह में पुनः कटौती ना हो जावे, इसका विशेष ध्यान रखा जावें। क्योंकि यह कटौती वार्षिक है।
8. वेतन विपत्र से कटौती केवल दिसम्बर 2018 दैन्य जनवरी 2019 के वेतन से ही अनिवार्य रूप से की जानी है, यदि किसी कारणवश कटौती विपत्र से नहीं हो पाती है तो पूर्व कि भौती अंशदान राशि एकत्रित कर DD/चेक के माध्यम से ही भिजवाई जावें।
9. वेतन विपत्र पारित होने के उपरान्त हितकारी निधि अंशदान कटौती के शिड्यूल एवं ई0सी0एस0 केशबुक की एक हस्ताक्षरित प्रति अध्यक्ष हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर के नाम से प्रेषित करें ताकि बैंक से इसका मिलान किया जा सकें।

कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी

विषय:- Add Group Dependent Deduction
में कटौती शुरू करवाने बाबत।

महोदय,

- उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माह दिसम्बर, 2018 का वेतन जो माह जनवरी, 2019 में देय होगा जिसमें समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से हितकारी निधि फण्ड के लिये वार्षिक अंशदान कि कटौती की जानी है। उक्त कटौती पै-मेनेजर में Add Group Dependent Deduction से की जानी है
- इस प्रकार से काटी गई राशि हितकारी निधि में निम्नानुसार जमा की जानी है।

01	Bank Account No.	51020721611
02	Bank IFSC Code	SBIN0031347
03	Bank Branch	के0ई0एम0 रोड़, शाखा, बीकानेर

- वर्तमान में Add Group Dependent Deduction में कटौती नहीं हो रही है अतः कृपया Add Group Dependent Deduction में कटौती शुरू करवाने का श्रम करावें। इस कार्यालय की ऑफिस आई0डी0 है।

क्र0स0	ग्रुप का नाम जिसमें कटौती की जानी है।
01	हितकारी निधि

हस्ताक्षर

DDO:-

Code No.:-

1234

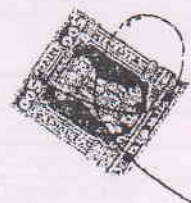
7 DD (A)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष / IFMS/Paymanager/ 81318

दिनांक: 15/3/

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।



विषय: Add. Group Dependent Deduction में कटौती शुरू
करवाने के संबंध में।

संदर्भ: आपका पत्र दिनांक 07.02.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा Add. Group Dependent Deduction Pay manager System में हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान आहरण एवं वितरण अधिकारियों के मार्फत वेतन बिलों की आंतरिक राशि में से कटौति कर एस.बी.आई. खाता संख्या 51020721611 में जमा करवाने का विकल्प उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में लेख है कि उक्त सुवेचा कोषाधिकारी लॉगिन में उपलब्ध है। अतः तदनुसार संबंधित कोषाधिकारी से सम्पर्क कर वांछित कार्यवाही करवाया जाना अपेक्षित है।

भवदीया

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

(8)

समान्यतः प्रयोग किए जाने वाले शब्द संक्षेपत Generally used Abbreviations

A/c = Account/खाता	Dep = Deposit/जमा	Pr = Principal/मूलधन
Adj = Adjustment/समायोजन	Dft = Draft/ड्राफ्ट	Proc = Processing Charge/प्रक्रिया शुल्क
Amt = Amount/राशि	Dish/Dsh = Dishonour/अनादरण	RD = Recurring Deposit/आवृत्ति जमा
Ar = Arrear/बकाया	DR = Debit/नापे	Ret/Rtn = Return/वापस
Bal = Balance/शेष	DoB = Date of Birth/जन्म तिथि	Rnd = Round off/पूर्णांकित
Capn = Capitalization/पूँजीकरण	EFT = Electronic Fund Transfer/यांत्रिक कोष अंतरण	SB = Saving Bank/बचत बैंक
Chg/Ch = Charge/शुल्क	Inop = Inoperative/अपरिचालित	SC = Short Credit/लघु जमा
Chq = Cheque/चेक	Ins = Insurance/बीमा	SI/So/SORD = Standing Instruction/स्थायी अनुदेश
Clos = Closure/बन्द	Int/In = Interest/ब्याज	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of/पुत्र/पुत्री/पत्नी
Coll = Collection/संग्रहण	Lon/In = Loan/ऋण	Tr/Trf/Xfer = Transfer/अंतरण
Comn = Commission/कमीशन	Min = Minimum/न्यूनतम	TT = Telegraphic Transfer/तार अंतरण
COR/CORR = Correction/सुधार	Os = Outstanding/बकाया	Trn = Transaction/लेन देन
CR = Credit/जमा	P & T = Postage & Telegram/डाक व तार	Wdl = Withdrawal/आहरण
Csh = Cash/नकद	Pos = Point of sale/विक्रय केंद्र	MOD bal+CD Bal=total balance (SB+linked MOD A/C) बहुविकल्प शेष+जमा शेष = कुलशेष

भारतीय स्टेट बैंक



51020721611

State Bank of India

Savings Bank Account

CTF No : 78120732132

Account No : 51020721611

Customer Name: HITKARI NIDHI

S/D/W/H/o:HITKARI NIDHI

Address:D S E RAJASTHAN BIKANER

BIKANER

Phone:0151

Email:

D.O.B. (If Minor):

MOP.:SINGLE

Nom. Reg. No.:



BIKANER K.E.M. ROAD
K.E.M. ROAD

Phone:2223070

Email:sbi.31347@sbi.co.in

Branch Code:31347

Date of Issue:07/09/2018

07/09/2018 7838247 31347

IFSC:SBIN0031347

MICR:334002030

Branch Manager

CONTINUATION